न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/29/2021 रजि0 नं0 2021/50

प्रवेश तिथि 01.03.2021

अपीलार्थी
श्री नीरज यादव पुत्र श्योचन्द यादव,
निवासी–ग्राम रतनपुरा, तहसील–बानसूर
(अलवर)–301402

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी बानसूर (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 06.04.2021

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत आवेदन–पत्र दिनांकः 01.01.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर विगत 5 वर्षों में प्राप्त शिकायतों का विवरण, निराकरण, पेंडेंसी व बानसूर उपखण्ड अंतर्गत अतिक्रमण संबंधी कुल 14 बिन्दुओं पर दस्तावेजी सूचना की प्रति उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः –(इस न्यायालय को दिनांकः 22.02.21 को प्राप्त) के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
4. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर न्यायालय में जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया, साथ ही ई–मेल के माध्यम से भी प्रत्यर्थी को जवाब प्रेषण हेतु सूचित किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं किन्तु पत्रांकः 1429 दिनांकः 06.04.2021 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
5. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर मनन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के RTI आवेदन दिनांकः 01.01.2021 के परिप्रेक्ष्य में पत्र सं0 1230 दिनांकः 24.03.21 के माध्यम से बिन्दुवार विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है।

6/4

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के RTI आवेदन दिनांकः 01.01.2021 पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर इस न्यायालय को अपील प्रस्तुत करने उपरान्त सूचित किया गया है जो उचित नहीं है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है।
7. प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की कठोरता, समयबद्धता से पालना के लिए जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे।
8. उक्त आलोक में अपील खारिज की जाती है किन्तु न्यायहित में प्रत्यर्थी प्रेषित सूचना की प्रति पुनः नियमानुसार अधिप्रमाणित कर उक्त आदेश प्राप्ति के अधिकतम 10 दिवस में अपीलार्थी को पंजीकृत–पत्र के माध्यम से उपलब्ध करा दें।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 06.04.2021 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।
11. निर्णय घोषित ।

6/4/21

(कमलराम मीना)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)